

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:—खुमाण उर्फ खुमा
किस्म मुकदमा:— वाद

विपक्षी:— धुला
पत्रावली संख्या:— 115/17

दिनाक:—05.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुये एवं दिनांक 25.11.2019 को भी वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये थे। प्रकरण वादी साक्ष्य में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा रूक-रूक कर तीन बार आवाज भी लगवाई गई बावजूद भी कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, न ही न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित हुआ। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है अपने वाद में प्रभावी पैरवी नहीं करना चाहती है।

अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में इसी स्टेज पर खारिज किया जाती है। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.सौम्या झा)
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा— उदयपुर

